

राजस्थान-सरकार  
कार्यालय जिला कलक्टर (भू0अ0) भीलवाड़ा

क्रमांक: प.1(ख)2 क2(1)/भू.अ./स्था./2018/71046

दिनांक : 01.08.2018

—: आदेश:—

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक: राम/भू0अ0/परीक्षा/प-279/2017/8367-399 दिनांक: 30.07.2018 के क्रम में, राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम-4 के अन्तर्गत, सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा-2015 से चयनित होकर इस जिले को आवंटित निम्न अभ्यर्थियों को पटवारी पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन ट्रेनी के रूप में नियुक्ति दी जाती हैं।

क्र. सं.	रोल नम्बर	नाम पटवारी मय पिता का नाम	जन्म दिनांक
1	117833	सांवरिया लाल जाट/कालु लाल जाट	05.08.1989
2	169380	नरेश सिंह/गणपत सिंह	05.12.1992
3	165003	ललित कुमार मालव/उमा शंकर मालव	25.04.1993
4	111147	रवि दत्त/सेवा राम	03.07.1991
5	140192	गौरी शंकर शर्मा/बनवारी लाल शर्मा	07.08.1994
6	200182	देवेन्द्र कुमार/भारत भूषण	11.07.1989
7	116745	अंकित कुमार यादव/ओमप्रकाश यादव	01.02.1992
8	197045	प्रदीप रजबाणिया धोबी/धन्ना लाल धोबी	24.04.1993
9	148475	राम चन्द्र चौधरी/हनुमान चौधरी	01.04.1986
10	187394	हुक्मा राम थालौड़/भुगाना राम थालौड़	01.12.1985
11	212512	लक्ष्मण सिंह लताला/हरसहाय गुर्जर	05.11.1990
12	177993	धर्मवीर जाट/गोविन्द राम जाट	08.07.1991
13	132440	रामचन्द्र टाडा/उगमा राम	06.07.1997
14	126086	सुभाष बिश्नोई/जगदीश बिश्नोई	08.10.1992
15	211234	आशा कुमारी चौधरी/सत्य नारायण चौधरी	14.12.1994
16	106493	भींव राज परिहार/बीरम राम परिहार	02.04.1994
17	168711	उषा शेखावत/नीरू सिंह शेखावत	10.08.1994
18	154187	ओमप्रकाश रेगर/जेटू मल रेगर	01.07.1993
19	136350	मुकेश कुमार रेगर/डाल चन्द रेगर	30.06.1992
20	115221	अंकिता ओझा/प्रहलाद राय ओझा	03.11.1992
21	125049	कैलाश चन्द्र रेगर/दल्ला रेगर	10.10.1995
22	137243	सुदेश कुमार मुण्डोतियाँ/गणेशराम मुण्डोतियाँ	01.08.1991
23	166554	दिनेश कुमार बैरवा/नन्दलाल बैरवा	10.07.1992
24	131307	विनोद कुमार/रमेश कुमार	07.09.1997
25	185859	बाबू लाल वर्मा/माली राम वर्मा	04.05.1994
26	172730	संपना तेली/बालमुकुन्द तेली	12.11.1992
27	106086	सरिता/राजपाल सिंह	05.06.1996
28	143310	कविता बिश्नोई/रामेश्वर लाल	15.05.1993
29	205024	चन्द्र प्रकाश मीणा/राम प्रसाद मीणा	07.07.1985
30	180114	बाबू लाल मीणा/उदा राम मीणा	11.09.1977
31	195833	रामस्वरूप/अर्जुनराम	11.07.1979
32	112384	विक्रम सिंह/हरिसिंह	01.07.1979
33	105352	पायल जैतमाल/मनोहर सिंह जैतमाल	10.08.1983
34	186338	मंजु माली/भागीरथ माली	20.07.1980
35	205127	कपिला कुमारी जांगिड़/रामजी लाल जांगिड़	10.01.1980

जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

उक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती हैं-

1. नियुक्ति आदेश प्रसारित होने के उपरान्त नियुक्त पटवारी (प्रोबेशन ट्रेनी) को तत्काल भू-अभिलेख अनुभाग जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाड़ा के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी।
2. उक्त कार्मिकों को परिवीक्षाकाल में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम दरों अनुसार नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रु. 14600/- मासिक संदत्त किया जायेगा एवं परिवीक्षा की कालावधि में कोई वेतनवृद्धि, विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं अन्य किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
3. उक्त नियुक्ति राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 4 एवं तत्पश्चात् समय-समय पर जारी अधिसूचना/निर्देशों/परिपत्रों के अधीन शासित होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश, परिपत्र लागू होंगे।
4. उक्त प्रशिक्षु पटवारियों के प्रशिक्षण सत्र की अवधि 06 माह होगी तथा इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नियत पारिश्रमिक नियमानुसार प्रतिमाह की दर से दिया जायेगा। सत्र की सम्पूर्ण अवधि में विभागीय परीक्षा देने हेतु 75 प्रतिशत उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी।
5. उक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण करते समय सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जावे।
6. उक्त नियुक्ति पर कार्मिक (क-2) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक:-F.7(1) (कार्मिक) क-2/2001 दिनांक-20.06.2001 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक-F.13(3) FD/(rules) पेंशन/8/01 दिनांक-04.10.2001 के अनुसार दिनांक-01.06.2002 को या इसके पश्चात् किसी भी समय इनके दो या दो से अधिक सन्तान होने पर इन नियमों के अधीन कार्यवाही की जावेगी। इस सम्बन्ध में उपस्थिति के समय रु. 10/- के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर वर्तमान संतानों की संख्या एवं जन्म दिनांक अंकित करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
7. कार्मिक (क-2) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक-प.8 (1) कार्मिक (क-2) 2002 दिनांक-09.06.2003 के अनुसार उक्त नियुक्ति पर अशंदायी पेंशन योजना लागू होगी। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक-F.1(4) FD/(rules)/2017 जयपुर दिनांक-30.10.2017 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियमानुसार एन.पी.एस. की कटौती की जायेगी।
8. वित्त अनुभाग की अधिसूचना क्रमांक-F.12 (6) FD/(rules)/2005 जयपुर दिनांक-13.03.2006 के अनुसार उपरोक्त नियुक्त कार्मिक दो वर्ष (Two Year) की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे तथा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने के पश्चात् पटवारी पद की सेवाएं नियमित करने की कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है, तो उसकी सेवाएं नियमित नहीं की जायेगी।
9. कार्मिक की नियुक्ति से परिवीक्षाकाल के दौरान राज्य बीमा (SI) की राशि की कटौती नहीं की जायेगी।
10. परिवीक्षाकाल के दौरान एक कैलेण्डर वर्ष में 15 (Fifteen) दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा।
11. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक-F-6(5) FD/(rules) 2004 दिनांक-27.07.2004 के अनुसार कार्मिक पर मेडिकलेम बीमा आवरण योजना लागू होगी।
12. पटवारी के पद पर अन्तिम रूप से चयनित इन अभ्यर्थियों का पदस्थापन एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9454/2017 देवेन्द्र सिंह मेहता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा इस याचिका के साथ संलग्न अन्य याचिकाओं एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8402/2017 मनीष चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8454/2017 श्रवण स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8829/2017 ओमप्रकाश खावा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15538/2017 मोहिनी बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11711/2017 मनीष विश्णोई बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8263/2017 रोहिताश बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7870/2017 भोमाराम बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13151/2017 पूनमकंवर

जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8110/2017 शंकरलाल डूडी बनाम राजस्थान राज्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18032/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 16106/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 17676/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18049/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13009/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13089/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13008/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13090/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13011/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13007/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18326/2017, 10360/2017, 9735/2017, 10549/2017, 12009/2017, 11875/2017, 11874/2017, 11788/2017, 11878/2017, 11881/2017, 11877/2017, 11876/2017, 11879/2017, 8402/2017, 8413/2017, 8133/2017, 12552/2017, 12551/2017, 10690/2017, 11538/2017, 15109/2017 के निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

13. उक्त नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरान्त यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं होता है, तो उसका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
14. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षणार्थी को इस आशय का अनुबन्ध पत्र (बॉण्ड) हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण उपरान्त राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाएँ अर्पण करनी होगी अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई धन राशी रूपये 95200/-राज्य सरकार को लौटानी होगी।

—Sd—  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

क्रमांक-सम/ 71047-126  
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

दिनांक: 01.08.2018

1. निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर।
3. निदेशक, राजस्व प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, अजमेर।
4. उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधी विभाग, भीलवाड़ा।
5. कोषाधिकारी भीलवाड़ा।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जाँच कर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आज ही उपलब्ध करावें।
7. प्रधानाचार्य, सर्वउद्देश्यीय राजस्व प्रशिक्षणालय, टोंक।
- ✓ 8. ए.सी.पी., सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि आदेश को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. संबंधित प्रोबेशनर ट्रेनी पटवारी.....।
10. निजी पंजिका .....
11. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

PATWARI POSTING ORDER 01.08.2018